

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-770/2014  
संस्थित दिनांक- 30.12.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

कृपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह कुशवाह  
उम्र 29 साल निवासी विक्रमपुर  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

**-: निर्णय :-**

(आज दिनांक 17.05.2018 को घोषित)

- 01- अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324, 506 भाग-02 के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 11.10.2014 को समय शाम करीब 07:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में सरकार कुंआ के पास सार्वजनिक स्थान पर फरियादी पार्वती बाई को मादरचोद, बहन चोद की अश्लील गालिया देकर उसे तथा वह उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर उसका रास्ता रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया एवं फरियादी पार्वती बाई की धारदार हथियार कुल्हाड़ी से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की एवं उसे जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11.10.2014 को समय शाम करीब 07 बजे फरियादिया पार्वती बाई खेत में धान काटकर आ रही थी, तो रास्ते में सरकारी कुंआ के पास कृपाल कुशवाह हाथ में कुल्हाड़ी लिये मिला और पार्वती बाई का रास्ता रोककर बोला क्यों री डुकारिया तू गांव में यह बोलती है कि कृपाल खराब सब्जी बेचता हैं। पार्वती बाई ने कहा मैंने उक्त बात नहीं मैंने तो गंदी सब्जी होने से के कारण नहीं खरीदी थी, इसी बात पर कृपाल सिंह पार्वती बाई को माद चोद, बहन चोद की बुरी बुरी गालिया देने लगा, पार्वती बाई के चिल्लाने पर उसका लडका चिन्तामणि, भरोसीलाल कुशवाह, आत्माराम

शर्मा आ गये, उन्हें देखकर कृपाल सिंह भाग गया और कहा आज तो बच गई अब मेरी बुराई की तो जिन्दा नहीं छोड़ूंगा। फरियादिया पार्वती बाई द्वारा पुलिस थाना चिंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चिंदेरी के अपराध क्रमांक 444/2014 अंतर्गत धारा— 294, 341, 324, 506 बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.05.2018 को फरियादिया पार्वती बाई द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा.द.वि. की धारा 294, 341, 506 भाग—02 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा.द.वि. की धारा 324 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04— अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :—

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 11.10.2014 को समय शाम करीब 07:00 बजे थाना चिंदेरी अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में सरकार कुंआ के पास फरियादी पार्वती बाई की धारदार हथियार कुल्हाडी से, जिससे मृत्यु होना संभाव्य थी, मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:—

06—प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में मात्र फरियादी पार्वती (अ0सा0—01) सहित उसके पुत्र चिन्तामणि (अ0सा0—02) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। पार्वती बाई (अ0सा0—01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि तीन चार साल पहले शाम के समय उसकी अभियुक्त के साथ सब्जी को लेकर कहां—सुनी हो गई थी, जिसमें गाली—गलौच भी हो गया था। पार्वती बाई (अ0सा0—01) के अनुसार इस घटना की चिल्लाचोट सुनकर मौके पर उसका

लडका चिन्तामणि भी आ गया था और बहुत से लोग भी इकट्ठा हो गये थे।

- 07—पार्वती बाई (अ0सा0-01) का कहना है कि घटना के बाद उसने पुलिस थाना चंदेरी में प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी तथा घटना स्थल पर आकर लिखापट्टी भी की थी। पार्वती बाई (अ0सा0-01) ने न्यायालय में दिये गये उपरोक्त कथनों के द्वारा अभियोजन का इस बात पर तो समर्थन किया है कि तीन चार साल पहले शाम के समय सब्जी के विवाद पर से उसके व अभियुक्त के मध्य कहा-सुनी व गाली-गलौच हो गई थी, परन्तु इस साक्षी का अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में यह कहना है कि कहा-सुनी और गाली-गलौच के अलावा अन्य कोई घटना आरोपी ने उसके साथ नहीं की।
- 08—पार्वती बाई (अ0सा0-01) का कहना है कि उसके द्वारा जब प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट पुलिस थाना चंदेरी में लेख कराई गई थी, तो पुलिस ने उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिये भेजा था, परन्तु पार्वती बाई (अ0सा0-01) का कहना है कि उसे बखा में घर जाते समय रास्ते में गिर जाने से चोट लगी थी तथा गाली-गलौच व मुंहवाद के अलावा अभियुक्त ने उसके साथ अन्य कोई घटना कारित नहीं की। अभियोजन की ओर से घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पार्वती (अ0सा0-01) के पुत्र चिन्तामणि (अ0सा0-02) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं, जिससे घटना स्थल पर उपस्थित होने के संबंध में पार्वती बाई (अ0सा0-01) ने अपने न्यायालीन कथनों में बताया है।
- 09—चिन्तामणि (अ0सा0-02) भी अपने न्यायालीन कथनों में पार्वती बाई के द्वारा न्यायालय में दिये गये इन कथनों की तो पुष्टि करता है कि तीन-चार साल पहले पार्वती बाई का अभियुक्त से सब्जी को लेकर कहा-सुनी और गाली-गलौच हो गई थी, परन्तु इस साक्षी के अनुसार इस घटना के अलावा आरोपी ने उसकी मां के साथ अन्य कोई घटना कारित नहीं की अर्थात् पार्वती बाई (अ0सा0-01) व चिन्तामणि (अ0सा0-02) के अनुसार अभियुक्त ने घटना दिनांक को शाम के समय पार्वतीबाई के साथ केवल गाली-गलौच व मुंहवाद किया था।
- 10—पार्वती बाई (अ0सा0-01) सहित चिन्तामणि (अ0सा0-02) का अपने न्यायालीन कथनों में अभियोजन घटना के विरुद्ध स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि अभियुक्त ने केवल गाली-गलौच व मुंहवाद किया था इसके अलावा अन्य कोई घटना कारित नहीं की। अतः इन साक्षियों के अनुसार अभियुक्त ने फरियादी के साथ कोई मारपीट नहीं की। पार्वती बाई (अ0सा0-01) जो कि घटना में मुख्य आहत होकर फरियादी भी है, स्वयं को आई चोटें अभियुक्त के द्वारा कारित न की जाकर घर जाते समय गिर जाने से आना बताती है।
- 11—पार्वती बाई (अ0सा0-01) व चिन्तामणि (अ0सा0-02) के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा इन दोनों ही साक्षियों

को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन का इस बात पर लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है कि घटना दिनांक को सब्जी के विवाद पर से फरियादी के द्वारा गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से फरियादी की पीठ में कटे हुये घाव की उपहति कारित की थी। फरियादी पार्वती बाई (अ0सा0-01) स्वयं अपने कथनों में यह कहती है कि उसने इस संबंध में न तो प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट में कोई घटना लेख कराई न ही पुलिस को दिये गये कथन प्रदर्श पी-03 में ऐसी घटना लेख कराई है।

12-पार्वती बाई (अ0सा0-01) व चिन्तामणि (अ0सा0-02) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथनों को बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे इन साक्षियों के द्वारा मुख्यपरीक्षण में जो भी कथन न्यायालय में दिये है वह अखण्डित है। पार्वती बाई (अ0सा0-01) के द्वारा न्यायालय में दिये गये कथन के घटना दिनांक को शाम के समय अभियुक्त से सब्जी के विवाद को लेकर कहा-सुनी व गाली-गलौच हो गई थी, कि पुष्टि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 व चिन्तामणि (अ0सा0-02) के कथनों से होती हैं तथा उपरोक्त कथन विरोधाभास मुक्त होकर अखण्डित है, जिसके परिणाम स्वरूप यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को शाम के समय सब्जी के विवाद पर अभियुक्त ने पार्वती बाई के साथ मुंहवाद व गाली-गलौच किया था, परन्तु फरियादी पार्वती बाई (अ0सा0-01) व चिन्तामणि (अ0सा0-02) के द्वारा शेष घटना के संबंध में अभियोजन का समर्थन न करके अभियुक्त के द्वारा मारपीट की घटना से इन्कार करने से यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना में अभियुक्त ने पार्वती बाई (अ0सा0-01) के साथ धारदार हथियार से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की थी।

13-किसी प्रकरण में दोष सिद्धि के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है वर्तमान प्रकरण में साक्षियों के द्वारा अभियोजन की घटना का समर्थन पूरी तरह से न करने के कारण अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 11.10.2014 को समय शाम करीब 07:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम विक्रमपुर में सरकार कुंआ के पास फरियादी पार्वती बाई की धारदार हथियार कुल्हाड़ी से, जिससे मृत्यु होना संभाव्य थी, मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

14-फलतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त कृपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह कुशवाह को भा0द0वि0 की धारा 324 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त कृपाल सिंह पुत्र पूरन सिंह कुशवाह को भा0द0वि0 की धारा 324 तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।

15—अभियुक्त धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति सम्पत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि के पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)